इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 अप्रैल 2012—वैशाख 6, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. एफ ए-03-34-2010-1-पांच (24).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-34-2010-1-पांच (82) दिनांक 28 दिसम्बर 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द "30 अप्रैल, 2012" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "30 जून, 2012" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. एफ ए 3-34-2010-1-पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-34-2010-1-पांच (24) दिनांक 26 अप्रैल 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 26th April 2012

No. F-3-34-2010-1-V (24).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-34-2010-1-V(82) dated 28th December 2011 namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figure and word "30th April, 2012", the figure and word "30th June, 2012" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. P. SHRIVASTAV, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.